HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8768/2026
CNR: RJHC020539392026 | URN: CRLMB / 16058U / 2026

Rajendra Singh S/o Hari Singh, R/o Maloni Pawar, Police Station Saipau, District Dholpur (Raj.) (At Present Confined In District Jail, Bharatpur).

----Accused/Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajveer Singh Gurjar
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

27/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना कुम्हेर जिला भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 287/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि भांग का ठेका उसके नाम था और सहअभियुक्त जितेन्द्र के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद हुआ है और उसकी सूचना पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जीतेन्द्र सिंह पुत्र नवाबसिंह को विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण, भरतपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 05/2019 में दोषमुक्त किया जा चुका है। जब मुख्य अभियुक्त जिसके पास से मादक पदार्थ बरामद हुआ है, उसको दोषमुक्त किया जा चुका है, तो सहअभियुक्त को अपराध में दोषी नहीं माना जा सकता है तथा ऐसी परिस्थिती में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी चलने योग्य नहीं होती है, इस प्रकार के कई मत कई विनिश्चयों में व्यक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त

दिनांक 20.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक दुकान का लाईसेंस प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिंह व लाखनसिंह, राजेन्द्र सिंह, बबलू, मंगल सिंह व उदयहसिंह के पास था और दिनांक 01.04.2018 के पश्चात दुकान का लाईसेंस श्री रामगिरी के पास था, घटना दिनांक 04.07.2018 की है। उक्त दिनांक को दुकान का लाईसेंस प्रार्थी/अभियुक्त के पास नहीं बल्कि रामगिरी के पास था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनाक 11.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किए हैंः—

1. Anant Mishra @ Amit Mishra @ Surya Prakash Mishra V. State of U.P. and Another; Application U/S 482 No. 1325/2021; order dated 29.03.2022.

2. Dama Sudhir Versus B. Sai Chaithanya; Criminal Petition No. 1148/2023; order dated 17.06.2026.

3. Dushyant Vs. State of Rajashtan; S.B. Criminal Misc. Petition No. 1934/2015; order dated 15.07.2015.

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में दिनांक 04.07.2018 को भांग की दुकान पर सेल्समेन जितेन्द्रसिंह के कब्जे से मादक पदार्थ मिला। आबकारी विभाग के पत्र के अनुसार दिनांक 20.04.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक वादग्रस्त दुकान का लाईसेंस प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र सिंह व लाखनसिंह, राजेन्द्र सिंह, बबलू, मंगल सिंह व उदयहसिंह के पास था और दिनांक 01.04.2018 के पश्चात कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 2140 दिनांक

26.02.2018 के अनुसार दुकान का लाईसेंस रामगिरी के पास होना माना जा सकता है। घटना की दिनांक 04.07.2018 को जिस दिन मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ उस दिन वादग्रस्त दुकान प्रार्थी/अभियुक्त की हो यह इस स्तर पर स्पष्ट नहीं है। मुख्य अभियुक्त जिसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद हुआ वह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.10.2021 को दोषमुक्त हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनाक 11.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राजेन्द्रसिंह पुत्र हरीसिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को अनुपालना हेतु भेजी जावे तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (Criminal) No. 04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail & SLP (Cri.) No. 529/2021 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को सूचित करने हेतु इस आदेश की प्रति संबंधित कारागृह को जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

5/KISHAN SONI